बिहार सरकार,

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

—:: संकल्प ::—

श्री शशि प्रिय वर्मा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटेढ़ी बेलसर, वैशाली सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन संख्या—3340 दिनांक—26.09.2024 द्वारा गठित आरोप से आरोप मुक्त करने के संबंध में।

श्री शशि प्रिय वर्मा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटेढ़ी बेलसर, वैशाली सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक के विरूद्ध गठित आरोप पत्र जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक—483/जि0स्था0, दिनांक—19.07.2024 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ। गठित आरोप पत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस की सूची से वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध लाभुकों को 1st Inst. For FTO Generation & Verified की कार्रवाई में असंतोषजनक प्रगति की गई। लक्ष्य के विरूद्ध शतप्रतिशत स्वीकृति एवं प्रथम किश्त भुगतान हेतु Order Sheet निर्माण हेतु दिए गए निदेश के बावजूद असंतोषजनक प्रगति किया गया। श्री वर्मा द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई एवं सरकार के योजनाओं के क्रियान्वयन के लक्ष्य को पूरा करने में असफल रहे तथा वरीय पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

2. श्री शशि प्रिय वर्मा के विरूद्ध प्राप्त आरोप पत्र पर नियमानुसार सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर विभागीय ज्ञापन संख्या—3340 दिनांक—26.09.2024 द्वारा आरोप पत्र तथा आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य/अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए श्री वर्मा से बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित करने की मांग की गई।

3. विभागीय ज्ञापन संख्या—3340 दिनांक—26.09.2024 के आलोक में श्री शशि प्रिय वर्मा ने अपने पत्र दिनांक—27.09.2024 द्वारा कंडिकावार स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री वर्मा के समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत स्पष्टीकरण में दिये गये तथ्यों की जाँच कराते हुए साक्ष्य सहित कंडिकावार मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, वैशाली से विभागीय पत्रांक—3603 दिनांक—17.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4. जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक—746/जि0स्था0, दिनांक—20.09.2025 द्वारा श्री वर्मा के स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों/आंकड़ो की उप विकास आयुक्त, वैशाली द्वारा जाँचोपरांत उपलब्ध कराये गये कंडिकावार मंतव्य को संलग्न कर उपलब्ध कराया गया। उप विकास आयुक्त, वैशाली द्वारा श्री वर्मा के स्पष्टीकरण में अंकित आँकड़ो को सही एवं स्वीकार योग्य पाये जाने का मंतव्य दिया गया, परन्तु उक्त पर जिला पदाधिकारी, वैशाली का मंतव्य नहीं होने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जिला पदाधिकारी, वैशाली के स्वयं का मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

5. तदालोक में विभागीय पत्रांक—172 दिनांक—21.01.2026 द्वारा उप विकास आयुक्त, वैशाली के मंतव्य पर जिला पदाधिकारी, वैशाली से उनके स्वयं का मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु

अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक–355/जि0स्था0, दिनांक–04.05.2026 द्वारा उप विकास आयुक्त, वैशाली द्वारा दिये गये कंडिकावार मंतव्य से सहमति व्यक्त की गई।

6. श्री शशि प्रिय वर्मा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, उप विकास आयुक्त, वैशाली द्वारा जाँचोपरांत उपलब्ध कराये गये कंडिकावार मंतव्य एवं जिला पदाधिकारी, वैशाली के स्वयं के मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत श्री वर्मा के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

7. अतएव श्री शशि प्रिय वर्मा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटेढ़ी बेलसर, वैशाली सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन संख्या–3340 दिनांक–26.09.2024 द्वारा गठित आरोप से आरोप मुक्त किया जाता है।

8. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

त/स्पीड पोस्ट

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति श्री शशि प्रिय वर्मा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटेढ़ी बेलसर सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक को निबंधित डाक से प्राप्त करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–33/2024 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–33/2024 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6/श्रम वि०आ०(02)–33/2024 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

/स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपिः– श्री शशि प्रिय वर्मा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक (पताः–गायत्री, सालिमपुर अहरा, कदमकुआँ, थाना–गाँधी मैदान, पटना–800003) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–33/2024 श्र०सं०– 1434 पटना, दिनांक–08/6/26

प्रतिलिपि– श्रमायुक्त, बिहार/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/लोक सूचना पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–01 (सरकार पक्ष)/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.6.26

सरकार के संयुक्त सचिव